फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

प्रवीण बानो बनाम राजेन्द्र आदि

किस्म मुकदमा 225 आर.टी.आई

नम्बर.....84...../2022
जीसीएमएस नम्बर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.11.22	अभिभाषक अपीलांट श्री प्रेम प्रकाश मदान उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुआ। जो पंजीबद्व हो। विद्वान अभिभाषक अपीलांट को ताबे मियाद स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 16–11–2022 को पेश हो।	
16.11.22	अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 4 ने अधीनस्थ न्यायालय मे दावा मय अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है और अपने आपको 11.08. 1988 के विक्रय पत्र के आधार पर मालिक बता रहे है जबकि वादग्रस्त जायदाद रेस्पोडेन्ट सं. 8 से अपीलांटा ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 26–07–2022 को खसरा नम्बर 1073 तादादी 1.05 हैक्टेयर खं.नं. 1075 तादादी 1.80 है, खं.न. 1078 तादादी 1.20 है., खं.न. 1079 तादादी 3.77 है., खं.न. 1139/1073 तादादी 0.75 है., खं.न. 1140/1075 तादादी 1.00 है., खं.न. 1141/1079 तादादी 4.47 है., कुल 14.14 हैक्टेयर अपने 1/2 हिस्से की तादादी 0.702 हैक्टेयर भूमि में से 2.34 हैक्टर खातेदारी भूमि वाके ग्राम किसमीदसर की खरीद की हुई है। तथा इसी रकबे में अपीलांट ने रेस्पो सं. 6 बीझाराम से भी जायदाद खरीद कर रखी है तथा इंतकाल अपीलांट के नाम से दर्ज चला आ रहा है और भंवरी देवी ने अपनी जायदाद जो रिकॉडेर्ड खातेदार 2.34 हैक्टर वाके किसमीदेसर की रही है उसमें अपना हिस्सा अपीलांट को विकय कर दिया यह दावा रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 4 ने सन् 2007 में प्रस्तुत किया था और माननीय उपखण्ड़ अधिकारी, उतर, बीकानेर द्वारा दिनांक 25–03–2007 को उक्त खसरो पर मौका रिकॉर्ड की यथास्थिति आदेश पारित कर रखे थे और यह वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र सन् 2011 में अर्थात 21–04–2011 को खारिज फरमा दिया और इस आदेश के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नही की गई ना	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

ही अधीनस्थ न्यायालय ने मामले को वापस रेस्टोर किया यह आदेश आज भी फाइनल है लेकिन रेस्पोडेंट सं 1 ता 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक नया दावा राजेन्द्र कुमार –बनाम– बींझाराम दिनांक 15–6–2022 को प्रस्तुत किया आरैर 4–7–2022 को अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा देने से मना कर दिया और उसके बाद पत्रावली 12–09–2022 को वास्ते तलबी रख दी गई और उसके बाद अचानक ही रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 4 के आवेदन पर 2–8–2022 को वादग्रस्त जायदाद की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित कर दिये गये जबकि आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटा को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया और बिना नोटिस दिये बीच पेशी पत्रावली लेकर स्थगन पारित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन अपीलांटा के पक्ष में साबित है। अतः अपीलांटा का स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, बीकानेर का आदेश दिनांक 02–08–2022 की क्रियान्विति ताफैसला स्थगित फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांटा को सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया ।

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि वाके किसमीदसेर के खसरा नम्बर 1073 तादादी 1.05 हैक्टेयर खं.नं. 1075 तादादी 1.80 है, खं.न. 1078 तादादी 1.20 है., खं.न. 1079 तादादी 3.77 है., खं.न. 1139/1073 तादादी 0.75 है., खं.न. 1140/1075 तादादी 1.00 है., खं.न. 1141/1079 तादादी 4.47 है., कुल 14.14 हैक्टेयर अपने 1/2 हिस्से की तादादी 0.702 हैक्टेयर भूमि में से 2.34 हैक्टर खातेदारी भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 8 भंवरी देवी ने अपींलाटा के नाम बैयनामा करवा दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में कथन किया है कि दौराने दावा अगर उक्त विक्रय–पत्र के आधार पर नामान्तरण दर्ज हो जाता है अथवा वादग्रस्त भूमि का आगे बैचान हो जाता है तो प्रकरण में अनावश्यक विवाद व पैचिदगियॉ बढ़ने की संभावना है। अतः प्रकरण में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है उक्त आदेश से व्यथित होकर अपींलांटा द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में अपीलाधीन आदेश व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो के अवलोकन के पश्चात हमारा अभिमत है कि चूंकि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष जैरकार धारा 212 आरटीए के प्रार्थना–पत्र को दिनांक 04–07–2022 को दर्ज रजिस्टर का उक्त प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार करने के पश्चात् अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी करने के आदेश के साथ ही पत्रावली को तारीख पेशी दिनांक 12–09–2022 को पेश होने के आदेश फरमा दिये गये थे। उसके पश्चात् अचानक प्रार्थी

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश कर पत्रावली को पुनः पेशी में लेकर स्थगन आदेश पारित कर दिया गया जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने ही पूर्व मे दिये गये आदेश के खिलाफ जाकर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। प्रकरण में चूकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/रेस्पोडेन्टस को सुनवाई व सबुत का अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र पर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में अपील के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना उचित नही पाते है। अपीलांटा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष न्यायालय हाजा से प्राप्त करने की अधिकारी नही है। अतः अंतरिम निषेधज्ञा के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलांटा की अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर